



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-19.07.2022

उ0प्र0 एटीएस यूनिट वाराणसी व थाना सारनाथ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 04 नफ़र अंतरप्रांतीय शातिर

असलहा तस्कर विवेक दुबे, संजय सिंह उर्फ छेदी, सुमित कुमार व राजकुमार गिरफ्तार,

कब्जे से कुल 04 अदद नजायज पिस्टल, 07 अदद मैगज़ीन, पिस्टल बिक्री का 50,000/- रुपया नगद,

05 अदद मोबाईल फोन व अन्य दस्तावेज बरामद

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में एटीएस यूनिट व थाना सारनाथ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सहायता से अभियुक्तगण 1.विवेक दूबे पुत्र उमाशंकर दूबे निवासी सिविल लाइन जनपद बक्सर बिहार 2.संजय सिंह उर्फ छेदी पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मुगलसराय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली 3.सुमित कुमार पुत्र स्व0 जनार्दन सिंह निवासी बरोरा उपर मन्दरा धनबाद झारखण्ड व 4.राजकुमार पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी जगदीशपुर वार्ड नम्बर 2 नदाव थाना मुफस्सिल जनपद बक्सर बिहार को दिनांक-18.07.2022 को समय करीब 22.45 बजे हिरामनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 04 अदद नजायज पिस्टल, 07 अदद मैगज़ीन, पिस्टल बिक्री का 50,000/- रुपया नगद, 05 अदद मोबाईल फोन व अन्य दस्तावेज बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0272/2022 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0-0273/2022 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0-0274/2022 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0-0275/2022 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.विवेक दूबे पुत्र उमाशंकर दूबे निवासी सिविल लाइन जनपद बक्सर बिहार उम्र 26 वर्ष ।
- 2.संजय सिंह उर्फ छेदी पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मुगलसराय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 44 वर्ष ।
- 3.सुमित कुमार पुत्र स्व0 जनार्दन सिंह निवासी बरोरा उपर मन्दरा धनबाद झारखण्ड उम्र 38 वर्ष ।
- 4.राजकुमार पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी जगदीशपुर वार्ड नम्बर 2 नदाव थाना मुफरिसल जनपद बक्सर बिहार उम्र 26 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 1.01 अदद पिस्टल .30 बोर बरामद ।
- 2.02 अदद मैगजीन .30 बोर बरामद ।
- 3.03 अदद पिस्टल .32 बोर बरामद ।
- 4.05 अदद मैगजीन .32 बोर बरामद ।
- 5.50 हजार रुपये पिस्टल बिक्री के बरामद ।
- 6.01 अदद मोबाइल SAMSUNG KEYPAD रंग नीला व एक अदद आधार कार्ड बरामद (अभियुक्त विवेक दुबे के कब्जे से)
- 7.01 अदद मोबाइल नोकिया की पैड रंग काला व एक अदद आधार कार्ड स्वयं का व 1235 रुपये नकद बरामद (अभियुक्त संजय सिंह के कब्जे से)
- 8.02 अदद की-पैड मोबाइल व स्वयं का एक अदद आधार कार्ड, एक अदद बैंक आफ इण्डिया एटीएम डेबिट कार्ड, एक अदद फोटो व नाम युक्त आईडी कार्ड प्रेस न्यूज टाइम्स 7 रिपोर्टर कार्ड नम्बर-NT 7004/2021 व कुल 5 हजार रुपये नगद बरामद (अभियुक्त सुमित कुमार के कब्जे से)
- 9.01 अदद मोबाइल विवो 5 जी रंग असमानी नीला, एक अदद पैन कार्ड, एक अदद ड्राइविंग लाइसेंस, एक अदद आधार कार्ड, एक अदद HDFC बैंक डेबिट कार्ड (अभियुक्त राजकुमार के कब्जे से)

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने बताया कि हमलोग कई वर्षों से बिहार व म0प्र0 राज्य में निर्मित अवैध अत्याधुनिक शस्त्रों को उ0प्र0 व बिहार के जनपदों से लाकर अपने सहयोगियों के माध्यम से पूर्वांचल के कई जिलों में अवैध असलहों को बेचते हैं। इस बार हम लोग बरवानी म0प्र0 से अवैध असलहा खरीदकर लाये थे। अभियुक्त विवेक दुबे ने बताया कि सौरभ यादव निवासी आजमगढ़ ने सिंघाना जनपद धार म0प्र0 के निवासी जगत सरदार से मेरा परिचय कराया था, जिसके उपरान्त मैं कई बार सौरभ यादव के कहने व स्वयं पिस्टल बेचने के लिये उ0प्र0 व बिहार आता था। इससे पहले भी दो बार मैं सिंघाना जनपद धार म0प्र0 जाकर रितिक निवासी बक्सर को 02 पिस्टल व दिनेश यादव व रितेश पांडेय को 03 पिस्टल व स्टेट गन दिलवा चुका हूँ, जो कुछ वर्ष पहले वाराणसी में पकड़े गये थे। अभियुक्तगणों से और असलहों के संबंध में पूछा गया तो बताया कि हम लोगों का एक संगठित गैंग है, जिसका मुखिया विजय सिंह हाथी निवासी छपरा बिहार है और असलहों के खरीद फरोक्त के लिये हम लोग एक दूसरे से सम्पर्क करते हैं। पार्टियों की डिमांड के अनुसार विभिन्न प्रकार के असलहों को बेचते हैं और हमलोग कई बार उ0प्र0 व बिहार के विभिन्न थानों से जेल भी जा चुके हैं। आज हम लोग इन असलहों को बेचने के लिये वाराणसी जा रहे थे ट्रेन से उतर कर घुमते हुए हिरामनपुर रेलवे क्रसिंग सारनाथ के पास आपलोगों द्वारा पकड़ लिए गए।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त संजय सिंह उर्फ छेदी पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मुगलसराय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

- 1.मु0अ0सं0 0047/2016 धारा 392/411 भादवि थाना लक्सा कमिश्नरेट वाराणसी
2. मु0अ0सं0 0084/2016 धारा 307/34 भादवि थाना लक्सा कमिश्नरेट वाराणसी
3. मु0अ0सं0 0089/2016 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना लक्सा कमिश्नरेट वाराणसी
4. मु0अ0सं0 0109/2016 धारा 3(1) उ0प्र0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना लक्सा कमिश्नरेट वाराणसी
5. मु0अ0सं0 0273/222 धारा 3/5/25 आर्मस एक्ट थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी

नोट:- विवेक दुबे माण्डल / टाउन थाना बक्सर जिला बक्सर बिहार आर्म्स एक्ट मे जेल जा चुका है तथा राजकुमार मुफसिल थाना बक्सर से 2017,2019,2020 मे आर्म्स एक्ट मे जेल जा चुका है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

| <u>उ0प्र0 एटीएस यूनिट वाराणसी टीम</u> | <u>थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी टीम</u> |
|--|---|
| 1.निरीक्षक भारत भूषण तिवारी उ0प्र0 एटीएस यूनिट प्रभारी वाराणसी | 1.थानाध्यक्ष सारनाथ अर्जुन सिंह |
| 2.निरीक्षक विजय प्रताप सिंह | 2.हे0का0 राम बाबू |
| 3.उ0नि0 रितेश कुमार सिंह | 3.हे0का0 देवाशीष |
| 4.हे0का0 इन्द्र प्रताप सिंह | 4.का0 रामानन्द यादव |
| 5.हे0का0 नितेन्द्र कृष्ण | 5.का0अखिलेश यादव |
| 6.हे0का0 कृष्णा नन्द यादव | 6.रि0का0 सुरेश कुमार शुक्ला |
| 7.हे0का0 बरकत अंसारी | 7.चालक हे0का0 भूप किशोर सिंह |
| 8.हे0का0 सर्वेश यादव | |
| 9.का0 नवीन कुमार सिंह | |
| 10.का0 विश्वेन्द्र सिंह | |
| 11.का0 राजेश यादव | |
| 12.का0 संजय कुमार सिंह | |
| 13.का0 नन्दलाल | |
| 14.चालक हे0का0 मनोज कुमार | |
| 15.चालक हे0का0 अपरेन्द्र कुमार सिंह | |

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी